न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 71 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. अणसीदेवी पत्नी जवाराराम 2. गिरधारीराम पुत्र जवाराम 3. चूनाराम पुत्र जवाराराम 4. कंवरीदेवी पत्नी दूदाराम 5. ताजाराम पुत्र दूदाराम 6. बाबूलाल पुत्र दूदाराम 7. देवाराम पुत्र रिड़मलराम 8. मांजूदेवी पत्नी राणाराम 9. पपूराम पुत्र राणाराम 10. रामाराम पुत्र रामाराम जाति दर्जी निवासी सारणों का सरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. नारणाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी सारणों का सरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. नवलाराम पुत्र भारमलराम 3. मेघाराम पुत्र भारमलराम 4. रूकमणाराम पुत्र भारमलराम 5. राजू पुत्र कुम्भा का.मु. 5/1अचलाराम पुत्र हिमताराम 5/2दूदाराम पुत्र हिमताराम 5/3भीमाराम पुत्र हिमताराम 5/4मोटाराम पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी सारणों का सरा तहसील सिणधरी 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 71/2020 बअनवान नारणाराम बनाम अणसीदेवी वगै. में पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री उगराराम सहारण अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— **31.08.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्वर 300/3 रकबा 4.0450 हैक्टयर मौजा सारणों का सरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 311 व 307 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थी को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थी के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। रास्ता स्वीकृत करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना रेस्पोडेंटस अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। किसी भी खेत के सेढे से रास्ता निकालने पर सेढे के दोनों तरफ स्थित खेत में से आधी–आधी भूमि का उपयोग करते हुऐ रास्ता निकालना चाहिये ताकि एक खातेदार को अधिक नुकसान को परन्तु हस्तगत प्रकरण में मात्र एक तरफ अपीलांटगण के खेत से रास्ता निकाला गया है तथा दूसरे तरफ के खसरे से रास्ता नहीं निकाला गया जिससे भी उतरदाता संख्या 01 का दुराशय भलीभांति प्रमाणित है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 05.12.2021 में स्पष्ट किया गया है कि "मौके पर उक्त प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है किसी प्रकार का निर्माण वगैरह नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा नं. 307 में संलग्न नक्शे में प्रस्तावित अनुसार मौके पर रास्ता विद्यमान है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 71/2020 बअनवान नारणाराम बनाम अणसीदेवी वगै. में पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 को बहाल रखा जाता है।

(प्रति[illegible] पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर